



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 699]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2019/अग्रहायण 11, 1941

No. 699]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2019/AGRAHAYANA 11, 1941

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 888(अ).—भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 4 के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् नियम, 1985 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्-

“16 मतदान.—(1) यदि निर्वाचन के लिए सम्यक रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं है तो रिटर्निंग ऑफिसर उसी समय ऐसे अभ्यर्थियों को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक है तो निर्वाचन अधिकारी ऑनलाइन मतदान के माध्यम से सदस्यों के चुनाव के लिए सात दिनों से अनधिक अवधि निश्चित करेगा।

(3) ऑनलाइन मतदान के लिए पात्र मतदाता को निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा, अर्थात् :-

- वह भारतीय पशुचिकित्सा व्यवसायी रजिस्ट्रर में अपने रजिस्ट्रीकृत संख्यांक के साथ लॉग इन कर सकेगा।
- लॉगिन करने के पश्चात्, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् या राज्य पशुचिकित्सा परिषद् पर अपने रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करेगा।

- (iii) ऐसे वन टाइम पासवर्ड को दर्ज किए जाने पर मतदाता निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची देख सकेगा और तब वह उतने अभ्यर्थियों के लिए टिक कर मत (वोट) दे सकेगा जितने स्थानों को निर्वाचन द्वारा भरा जाना है।
- (iv) मतदान करने के पश्चात् मतदाता को एक अभिस्वीकृति प्राप्त होगी कि उसने मतदान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
- (v) मतदान के पश्चात् मतदाता स्वतः लॉग आउट हो जाएगा और पुनः मतदान संभव नहीं है।”
3. उक्त नियमों में नियम 17 और नियम 18 का लोप किया जाएगा।
4. उक्त नियमों में, नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्:-
- “19. मतगणना.—**(1) रिटर्निंग ऑफिसर, उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत तारीख और समय पर, पासवर्ड दर्ज करेगा और प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या प्राप्त करेगा।
- (2) कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी अथवा उसके द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया प्रतिनिधि, मतगणना की प्रक्रिया को देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह सकेगा।”
5. उक्त नियमों में, नियम 20 और नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित नियमों को रखा जाएगा, नामतः
- 20. परिणामों की घोषणा. —**(1) रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थियों की एक सूची, प्राप्त अधिकतम मतों के क्रम में बनाएगा और भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के अनुसार उस क्रम में, निर्वाचित अभ्यर्थियों की घोषणा करेगा।
- (2) जब किन्हीं दो या अधिक अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हों, तो ऐसे अभ्यर्थी के बारे में, जिसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह निर्वाचित हो गया है, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, ऐसी रीति से जो वह अवधारित करे, निकाले जाने वाले लाट द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- (3) जैसे ही परिणाम घोषित हो जाए, रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को परिषद् के लिए उसके निर्वाचित होने की सूचना देगा।
- (4) यदि उप-नियम (1) के अधीन निर्वाचित हो गए घोषित कोई अभ्यर्थी, सदस्य के रूप में कार्य करने से इंकार करता है तो उस अभ्यर्थी के स्थान पर, शेष अभ्यर्थियों में से एक को, जिसे निकटतम अधिकतम मत दिए गए हैं, निर्वाचित हो गया समझा जाएगा और उसी प्रक्रिया का, इस प्रकार जितनी बार रिक्ति हो, अनुसरण किया जाएगा
- “(21) निर्वाचन दस्तावेजों का रखा जाना:- परिणामों की घोषणा के पश्चात्, रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन संबंधी सभी दस्तावेजों को छः मास की अवधि तक रखेगा और छः मास के पश्चात् भी केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना नष्ट नहीं करेगा।”

[फा. सं. के-12052-7/1/2017-एलएच]

उपमन्यु बसु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2019

G.S.R. 888(E).—In exercise of the powers conferred by section 64 read with section 4 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Veterinary Council Rules, 1985, namely:-

- (1) These rules may be called the Indian Veterinary Council (Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Veterinary Council Rules, 1985 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:-

“16. Voting.—(1) If the number of duly nominated candidates for election does not exceed the number of members to be elected, the Returning Officer shall forthwith declare such candidates duly elected.

(2) If the number of such candidates exceed the number of members to be elected, the Returning Officer shall fix a period of not exceeding seven days for election of members through online voting.

(3) For online voting, the eligible voter has to follow the following procedure, namely:-

- (i) he may login with his registered number in the Indian veterinary practitioners register ;
- (ii) after login, he shall receive one time password (OTP) on his mobile number registered with the State veterinary council or the Veterinary council of India ;
- (iii) on entering such one time password, the voter shall be able to see a list of contesting candidates and then he may vote by ticking () as many candidates as there are seats to be filled by the election;
- (iv) after voting, voter shall get an acknowledgment that he has completed the voting process successfully;
- (v) after voting, voter shall be automatically logged out and re-voting is not possible.”;

3. In the said rules, rules 17 and 18 shall be omitted.

4. In the said rules, for rule 19, the following rule shall be substituted, namely,-

“19. Counting of votes. —(1) The Returning Officer shall, on the date and time fixed by him for this purpose, enter the password and get the number of votes received by each contesting candidates.

(2) Any contesting candidate or his representative duly authorised in writing by him may remain present in person to watch the process of counting.

5. In the said rules, for rules 20 and 21, the following rules shall be substituted, namely,-

“20. Declaration of result. —(1) The Returning Officer shall draw up a list of candidates in order of highest votes polled and declare the candidates elected, in that order according to the number of seats to be filled up.

(2) When there is equality of votes among any two or more candidates, the candidate who shall be deemed to have been elected shall be determined by lots to be drawn by the Returning Officer in such manner as he may decide.

(3) The Returning Officer shall, as soon as the result is declared, inform each successful candidate of his being elected to the Council.

(4) If any candidate declared elected under sub-rule (1) refuses to act as member, then in the place of that candidate, one of the remaining unsuccessful candidate to whom the next largest number of votes have been polled, shall be deemed to have been elected and the same procedure shall be adopted as often as any vacancy is caused in this way.

“21. Retaining of Election documents.—After declaration of results, the Returning Officer shall preserve all the documents relating to election for a period of six months and shall not destroy, after this period, without the previous concurrence of the Central Government.”

[F. No. K-12052-7/1/2017-LH]

UPAMANYU BASU, Jt. Secy.